

# प्रेस नोट

02.11.2020

## 02 वांछित अभियुक्ता गिरफ्तार—

आज दिनांक 02.11.2020 को थाना कोपागंज पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान मु0अ0सं0 583ध20 धारा 504, 507 भादवि0 व 3(1) द एससीधएसटी एक्ट में वांछित अभियुक्तगण सलमा पत्नी मो0 मुनीश निवासी वाजिदपुर थाना कोपागंज मऊ, रंजना पत्नी दिनेश गुप्ता निवासी राजाराव खरैनी जनपद बलिया को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

## शांति भंग की आशंका में 18 व्यक्ति गिरफ्तार—

आज दिनांक 02.11.2020 को जनपद के विभिन्न थानों द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान थाना दक्षिणटोला पुलिस द्वारा सुखबु, रमावती, संदीप निवासीगण औरंगाबाद थाना दक्षिणटोला, थाना हलधरपुर पुलिस द्वारा मृत्युंजय, रामचन्द्र, लल्लन, राजेश निवासीगण जोगापुर, अरविन्द, हरिन्द्र निवासीगण साहुपुर थाना हलधरपुर, थाना मधुबन पुलिस द्वारा राजेन्द्र, रमाशंकर, लालमोहन निवासीगण धर्मपर विसूनपुर थाना मधुबन, थाना रानीपुर पुलिस द्वारा प्रशांत दुबे निवासी काझा, रामबचन, गोविन्द, वीरेन्द्र निवासीगण भूसूआ थाना रानीपुर, थाना सरायलखंसी पुलिस द्वारा विजय, राजेन्द्र निवासीगण बढुआ गोदाम थाना सरायलखंसी मऊ को अन्तर्गत धारा 151 सीआरपीसी गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

आज दिनांक 02.11.2020 को यातायात माह नवम्बर -2020 के क्रम में प्रभारी यातायात संतोष कुमार यादव द्वारा ब्रह्मस्थान बस स्टैण्ड पर बस चालको, परिचालको व यात्रियों को यातायात नियमों के बारे में जानकारी प्रदान की गयी व यातायात नियम लिखे हैंडबिल वितरित किये गये बस चालको को बताया गया कि वह बस स्टैण्ड के अन्दर ही बस को लगाकर सवारियों को भरे तथा ओवरलोडिंग ना करे। यात्रियों को बस में सुरक्षित यात्रा करने हेतु बताया गया कि चलती बस के अन्दर से खिड़की से अपने सर व हाथ को बाहर न निकाले तथा कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए परस्पर दूरी बनाये रहे तथा मास्क लगाकर ही यात्रा करे। इस क्रम में गाजीपुर तिराहा, बाल निकेतन व भीटी चौराहे पर यातायात के नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालको के विरुद्ध सघन चेकिंग अभियान चलाया गया तथा 115 वाहनो का चालान किया गया। इस मौके पर प्रभारी यातायात संतोष कुमार यादव, एचसीपी रमेश कुमार, का0 अरविन्द कुमार, का0 प्रवीण कुमार, होम गार्ड प्रमोद सिंह, अनिल कुमार व मिथलेश सिंह मौजूद थे।